निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 07/2022 (रसद अपील)

मैसर्स विरेन्द्र सिंह, प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर जरिये मालिक फर्म विरेन्द्र सिंह।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (क) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश दिनांक 04.10.2021 जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जिसके द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री महेश चन्द जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 11.07.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 04.10.2021 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत वाटिका, तहसील सांगानेर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार किये जाने के पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत वाटिका, तहसील सांगानेर का प्राधिकारधारक है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद्पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ है। जिस पर पोस कोड संख्या 10947 आंवटित है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्ड धारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। दिनांक 05.07.2017, 19.04.2021 एवं 03.07.2021 को प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक सांगानेर द्वारा जिला रसद

जिला कलक्टर
जयपुर

अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा वर्ष 2017 व 2021 में प्रकरण संख्या 91/2017, 45/2021 एवं 57/2021 दर्ज किये गये। जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध निम्नलिखित अनियमिततायें बतलाई गई। प्रकरण संख्या 91/2017 में प्रवर्तन अधिकारी सांगानेर ने दिनांक 05.07.2017 को जिला रसद अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलार्थी की दुकान से वाटिका II की रिक्त दुकान अस्थाई अटैचमेन्ट कार्यालय के आदेश क्रमांक 3185–3192 दिनांक 06.06.2017 द्वारा की गई है। अपीलार्थी द्वारा माह जून एवं जुलाई में राशन सामग्री का क्रय विक्रय सहकारी समिति से उठाव नहीं किया है जिससे अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को माह जून की राशन सामग्री का वितरण नहीं किया गया। प्रकरण संख्या 45/2021 में दिनांक 19.04.2021 को दोपहर 3.00 बजे दुकान बंद पाई गई। दुकान के बाहर कोई भी सूचना अंकित नहीं की। सूचना पट्ट भी दुकान के बाहर नहीं लगा हुआ था एवं वांछित सूचना जैसे स्टॉक की मात्रा, मूल्य सूचना आदि अंकित नहीं किया गया। प्रकरण सख्या 57/2021 में दिनांक 03.07.2021 को उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया जिसमें निम्नलिखित अनियमितता होना दर्शाया गया। (1) समय पर दुकान नहीं खोली जाती है, ज्यादातर उपभोक्ताओं की शिकायत है कि दुकान नियमित रूप से नहीं खुलती है, जिससे उन्हे परेशानी का सामना करना पडता है। (2) वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई। (3) वक्त निरीक्षण दुकान के बाहर स्टॉक सूचना, मूल्य सूचना, अधिकारियों के दुरभाष नम्बर व अन्य वांछित सूचनाये अंकित नहीं पाई गई। (4) समय समय पर कार्यालय द्वारा सूचनायें मागें जाने पर डीलर द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है, फोन भी नहीं उठाया जाता है। (5) राशनकार्ड को जनाधार के रूप में उपयोग में लेने हेतु जनाधार सीडिंग हेतु आयोजित मिटिंग में हिस्सा नहीं लिया गया तथा सम्पर्क करने पर मिटिंग में आने से मना कर दिया गया। (6) निगम द्वारा दिनांक 19.06.2021 को भिजवाये गये प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को निरीक्षण तक रिसीव नहीं किया गया। (7) राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवादी श्री सुनील वर्मा द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है कि उसके राशनकार्ड संख्या 007754700935 पर दिनांक 03.06.2021 को 60 किलोग्राम गेहूँ का ट्रान्जेक्शन किया गया जबकि परिवादी को केवल 30 किलोग्राम गेहूँ ही दिया गया। प्रकरण संख्या 91/2017 में प्रस्तुत जवाब वर्ष 2017 में दर्ज हुआ इसका नोटिस क्रमांक 6010 दिनांक 07.07.2017 अपीलार्थी को दिनांक 14.07.2017 को प्राप्त हुआ जबकि कार्यालय आदेश क्रमांक 7000–108 दिनांक 13.07.2017 द्वारा वाटिका द्वितीय की सामग्री प्रभू नारायण मीणा डीलर वाटिका चतुर्थ द्वारा उठा ली गई थी तथा अपीलार्थी को आदेश भी दिनांक 14.07.2017 को प्राप्त हुआ, इसलिए अपीलार्थी वाटिका द्वितीय की राशन सामग्री नहीं उठा पाया। प्रकरण संख्या 45/2021 के नोटिस दिनांक 04.05.2021 के जवाब में अपीलार्थी ने बतलाया की दुकान पर शटर के अन्दर की तरफ स्टॉक सूचा व दूरभाष नम्बर का बोर्ड लगाकर लिख रखा था, अब दुकान के बाहर लिखा दिया गया है। प्रकरण संख्या 57/2021 में जारी नोटिस दिनांक 06.07.2021 का जवाब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.07.2021 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें बतलाया गया कि उसके द्वारा नियमित रूप से दुकान खोली जाकर, राशन सामग्री वितरण की जाती है दिनांक 03.07.201 को निरीक्षण के वक्त पंचायत समिति सांगानेर के अटल सेवा केन्द्र पर जन आधार की सूचना के फॉर्म लेने हेतु गया हुआ था, दुकान के बाहर व अन्दर सूचना बोर्ड पर सूचनायें लिख रखी है, जिसकी फोटो संलग्न की। जन आधार सीडिंग हेतु आयोजित मीटिंग की सूचना वाट्सएप ग्रुप में डली होने व अपीलार्थी द्वारा उसे नहीं देख पाने के

जिला कलक्टर
जयपुर

कारण मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सका। निगम द्वारा दिनांक 19.06.2021 को भिजवाये गये गेहूँ 55 क्विंटल 99 किलो 900 ग्राम किस मद का है, समझ में नहीं आने के कारण उसका इन्द्राज नहीं कर सका तथा परिवादी सुनील वर्मा राशनकार्ड संख्या 007754700935 को पूरा गेहूँ दिया जाना परिवादी द्वारा लिखित में अपीलार्थी से कोई शिकायत न होने का प्रार्थना पत्र दिया जाना कथन किया गया। दिनांक 06.09.2021 को कार्यालय में उपस्थित हुआ तो अपीलार्थी को आगामी तारीख नोट नहीं करवाई गई तथा फोन पर सूचना उपलब्ध करवा दी जाना अवगत कराया गया। दिनांक 11.01.2022 को अपीलार्थी के कार्यालय में उपस्थित होने पर पत्रावली देखने पर जानकारी प्राप्त हुई कि जिला रसद अधिकारी द्वितीय ने निर्णय व आदेश दिनांक 04.10.2021 द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान ग्राम पंचायत वाटिका तहसील सांगानेर का प्राधिकार पत्र निरस्त करने तथा जमा धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त करने का एक तरफा आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण व धरोहर राशि जब्त करने के आदेश कमांक 1235 दिनांक 04.10.2022 जारी हुआ है जो अपीलार्थी को आज दिन तक नहीं मिला। जबकि आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 के अन्तर्गत जारी आदेश व निर्णय की प्रति अपीलार्थी को दिये जाने का प्रावधान है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11. 01.2022 को निर्णय व आदेश दिनांक 04.10.20121 की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त निर्णय व आदेश की प्रतिलिपि दिनांक 11.01.2022 को प्राप्त हुई । अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया द्वारा Suo Moto Writ petition (C) No. 30/2020 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2022 द्वारा कोरोना महामारी के चलते दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक मियाद सीमा में छूट प्रदान किये जाने पर अपीलार्थी की यह अपील अन्दर मियाद पेश है। प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक दिनांक 05.07.2017, 19.04.2021 व 03.07.2021 की कापी अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई और ना ही नोटिसों के संलग्न प्रेषत की गई है । नियमानुसार उपरोक्त निरीक्षण उपलबध करवाया जाना न्याय हित में आवश्यक था। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी द्वारा जानबूझ कर भारतीय संविधान के आर्टीकल–14 व 226 तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना की गई है । इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त (1) AIR 2018 (NOC) 231 (PAT) Ram vinod v/s State of Bihar & Ors or (2) 1988 EFR Pagee 475 Calcutta High Court शहदात हुसैन बनाम सब डिवीजन कन्ट्रोल एण्ड फूड सप्लाई कस्बा वृद्धमान अवलोकनाथ प्रस्तुत है। जिला रसद अधिकारी जयपुर, द्वितीय ने वर्ष 2017 के प्रकरण को वर्ष 2021 के प्रकरणों के नत्थी कर एक ही निर्णय दिनांक 04.10.2021 को पारित कर कानूनी व न्यायिक सिद्धान्तों की घोर अवहेलना व भूल की है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–219 में उल्लेखित किया गया है कि एक ही वर्ष में किये एक ही किस्म के तीन अपराधों का आरोप एक साथ लगाया और विचारण किया जा सकता है। जबकि एक प्रकरण 2017 का तथा दो प्रकरण वर्ष 2021 के है, जिन पर अलग–अलग विचारण किया जाकर अलग–अलग निर्णय पारित किया जाना चाहिये। उक्त तीनों प्रकरणों में दिनांक 06. 09.2021 को आगामी पेशी दिनांक 08.10.2021 नियत की गई थी। जिनमें दिनांक 04.10.2021 को बिना किसी औचित्य के एकतरफा निर्णय व आदेश पारित कर दिया जिससे आलोच्य आदेश निरस्तनीय है। पत्रावली संख्या 57/21 की दिनांक 05.04.2021 की आदेशिका पर यह आदेशित किया गया है कि " डीलर द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण पत्रावली

जिला कलक्टर
जयपुर

आज पेश हुई। डीलर अनुपस्थित/प्रकरण में डीलर प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुये विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया।" प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र कब व किसके समक्ष प्रस्तुत किया। अपीलार्थी को क्यों नहीं सुना गया, बिना सुने दिनांक 04.10.2021 को अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने व धरोहर राशि जब्त करने का आदेश क्यों पारित किया गया। जबकि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 (1) (2) में स्पष्ट प्रावधान है कि जब तक प्राधिकार धारक के प्राधिकार को रद्दकरण का कोई आदेश जब तक जारी नहीं किये जावे तब तक उसे अपना पक्ष कथन रखने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया है। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी द्वितीय ने अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्राधिकार पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की है। इस सम्बन्ध में 2008 (1) EFR 57 Allahabad High Court Harpal v/s State of N.Pal Others अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अपीलार्थी को अस्थाई दुकान वाटिका द्वितीय का अटैचमेन्ट आदेश दिनांक 14.07.2017 को मिला जबकि जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा उक्त दुकान दिनांक 13.07.2017 को ही अन्य डीलर प्रभू नारायण मीणा से अस्थाई अटैच कर दी। जिला रसद अधिकारी द्वितीय ने अपीलार्थी के जवाब पर गौर न करके अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण करने की कार्यवाही की है, जो मनमानी व असंवैधानिक है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.04.2021 को की गई सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण रूप से अवैध व मनमानी है। दिनांक 19.04.2021 के फर्द मौका से स्पष्ट है कि निरीक्षणकर्ता ने अपीलार्थी के यहॉ निरीक्षण आदि की कार्यवाही ना तो स्वतंत्र एवं मौखिक गवाहान के समक्ष और ना ही स्वतंत्र गवाहान को बुलाया गया तथा यह भी नहीं बतलाया गया कि उन्होंने इस प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाया। इसके संबंध में न्यायिक दृष्टान्त 1996 Cr.L.J. (Raj.) 7480 State of Rajasthan cvs. M/s J. Nagpal & Others अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। उचित मूल्य दुकान के बाहर स्टॉक सूचना, मूल्य सूचना, अधिकारियों के कार्यालयों के दूरभाष नम्बर व अन्य वांछित सूचनाओं का नियमित प्रदर्शन किया जाता है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा ना तो नोटिस बार्ड की नकल उतारी ना ही फोटो ली तथा ना ही नोटिस बोर्ड की जब्ती जैसी कोई कार्यवाही की। इसके संबंध में न्यायिक दृष्टान्त RLW 1990 (1) 221 State of Rajasthan v/s Mioshri Lal 65 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। प्रर्वतन निरीक्षक ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके द्वारा क्या सूचना चाही गई जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई तथा कब उनका फोन रिसीव नहीं किया गया। उनके द्वारा यह आरोप अपीलार्थी को आरोपित करने की नीयत से लगाया गया है। अपीलार्थी वाट्सएप ग्रुप में दी गई इस सूचना को नही देखने व जानकारी प्राप्त ना होने से अपीलार्थी जनाधार सीडिंग हेतु आयोजित मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सका। यह अरोप ऐसी गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता है। जिसके लिये प्राधिकार धारक का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जावे। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व मामले में कोई जांच नहीं की है, ना ही अपीलार्थी के जवाब पर गौर किया ओर ना ही पत्रावली का अवलोकन किया तथा ना ही अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया। प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक की जांच रिपोर्ट को साक्ष्य मानकर आलोच्य आदेश पारित किया है, जबकि प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक की रिपोर्ट को केवल मात्र साक्ष्य नहीं माना जा सकता। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2021 में यह वर्णित नहीं किया है कि प्राधिकृत विक्रेता/अपीलार्थी ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य

जिला कलक्टर
जयपुर

आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के किस खण्ड व प्राधिकार पत्र की किस शर्त का उल्लंघन किया है। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाना साबित नहीं होने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2021 निरस्त किया जा कर अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय की ओर से पैरोकार रसद ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी डीलर पर लगाये गये आरोपों से सिद्व होता है कि आरोपी राशन डीलर द्वारा अपने कार्य में गम्भीर किस्म की अनियमितताऐं की गई है जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। इसलिए अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाकर धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त सरकार किये गये है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय की पत्रावली संख्या 57/2021 की आदेशिका दिनांक 05.04.2021 इस प्रकार है। " डीलर द्वारा शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण पत्रावली आज पेश हुई। डीलर अनुपस्थित। प्रकरण में डीलर प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए विस्तृत निर्णय अलग से लिख जाकर शामिल मिसल किया गया। " शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र तहत पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है। अपीलार्थी डीलर ने यदि उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, तो फिर अनुपस्थित कैसे रहा ? जिला रसद अधिकारी के रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी डीलर को युक्ति युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का नियमन) आदेश 1976 के खण्ड (1)(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि प्राधिकार धारक के प्राधिकार को रद्दकरण का कोई आदेश जब तक पारित नहीं किया जावे तब तक उसे अपना पक्ष रखने का युक्ति युक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से हम सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.10.2021 को निरस्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी डीलर को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान किया जा कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। तब तक अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

10. निर्णय आज दिनांक **11.07.2022** को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर